उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध उप वित्त सलाहकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उप वित्त सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, उप वित्त सलाहकार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उप वित्त सलाहकार	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित ,अननुसचिवीय	स्तर-12 (78800 – 209200/- रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मूल काडर या विभाग में स्तर-11 (67700 - 208700 रु.) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि, और (ii) लेखा तथा वित्तीय मामलों में दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. NEC -17/27/2021-O/o US (NEC)]

संदीप सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 138.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Deputy Financial Adviser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Financial Adviser in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely: -

1. **Short title and commencement.** –(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Deputy Financial Adviser (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Financial Adviser	1* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200/).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.**
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	**Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Deputation	**Deputation:** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognized University or institute; and (ii) ten years experience in accounts and financial matters. **Note 1.-** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. **Note 2.-** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. NEC-17/27/2021-O/o US (NEC)]

SANDEEP SINGH, Dy. Secy.